न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

(1) अपील स. 77/2014/223 आरटीए

(2) अपील स. 76/2014/223 आरटीए

1. महेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सोहना पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्टस

बनाम

1. निहालसिंह पुत्र जयलाल जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. जसराम पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. मनभरी पत्नि ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. बलराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. सन्तोषदेवी पत्नि शिशपाल जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. मदनलाल पुत्र शिशपाल जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. रोहिताश पुत्र शिशपाल जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. शेरसिंह पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. नत्थुराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. चन्द्रपति पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. फुलीदेवी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. सन्तोदेवी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. गुडडीदेवी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. विमला पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. रमेशकुमार पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. बलवंतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. रेशमादेवी पत्नि अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. मीरा पुत्री अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. शकुन्तला पुत्री अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. कृष्ण पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. सुभाष पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
23. सरोज पुत्री गिरधारी जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
24. रामीदेवी पत्नि गिरधारी जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
26. मोहरसिंह पुत्र जयलाल जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

1. श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनीराम सरावरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 2 व 5 ता 24
3. श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 25

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 77/2014 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.07.2011 एवं अपील संख्या 76/2014 विरूद्ध निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 30.07.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर प्र0सं0 15/2011 निहालसिंह बनाम ओमप्रकाश आदि

निर्णय दिंनाक : 10.07.2018

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त दोनो ही अपीलो के रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील संख्या 77/2014 प्रस्तुत तथा इसी वादपत्र मे दिनांक 30.07.2013 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील संख्या 76/2014 प्रस्तुत की है। दोनो अपीलो मे समान पक्षकार होने एवं समान भूमि होने के कारण तथा दोनो ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एक ही भूमि से संबंधित होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. उपरोक्त दोनो ही अपीलो के अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित होने के कारण निरस्त योग्य है। वादपत्र के संबंध मे प्रतिवादीगण को कोई सूचना व नोटिस प्राप्त नही हुआ जो नोटिस जाी हुये उसके द्वारा प्रतिवादीगण की तामील नही हुई। सभी प्रतिवादीगण को रामगढ़ गांव मे नोटिस जारी किये गये है जबकि अपीलांट सं. 1 प्रतिवादी सं. 3 महेन्द्र चण्डीगढ़ रहता है व प्रतिवादी सं. 5 मदनलाल आर्मी मे नौकरी करता है व प्रतिवादी सं. 7 सुरजाराम पुत्र घेरू के नाम से कोई नोटिस जारी नही हुआ जो नोटिस जारी हुआ है उस पर सुरजाराम पुत्र शिशपाल दर्ज ई उसी के आधार पर सुरजाराम के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की है जबकि सुरजाराम दिनांक 03.09.1995 को फौत हो चुका है, प्रतिवादी सं. 9 गिरधारी फौत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हो चुका था उसके वारिसान को भी दावा मे पक्षकार नही बनाया गया एवं प्रतिवादी ओमप्रकाश 8 वर्ष पूर्व फौत हो चुका था उसके खिलाफ भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया। कानूनन किसी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर दिया जाना आवश्यक है लेकिन विचारण न्यायालय ने सुनवाई का अवसर ना देकर कानूनी भूल की है तथा कानूनन किसी मृतक पक्षकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नही किया जा सकता इस बात पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही किया। वादी ने मृतक के खिलाफ वाद पेश किया था जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही था एव ंना ही वादी ने मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाने बाबत कोई कार्यवाही की। इसलिये कानूनन वाद अबेट होने की वजह से खारिज योग्य था इसके बावजूद भी दावा डिक्री किया गया है जो अपास्त योग्य है। वास्तविक स्थिति यह है कि चक 11 एनटीआर बी मे 45.02 बीघा भूमि करतारसिंह, गिरधारी, सोहना पिसरान हिरा की आवंटनशुदा भूमि थी एवं चक 11 एनटीआर बी मे 41.16 बीघा भूमि मे 1/2 हिस्सा भूमि करतारसिंह, गिरधारी, सोहना, सुरजाराम व गंगाराम पिसरान हिरा की खातेदारी भूमि थी जिसमे मे से करतारसिंह ने जरिये बैयनामा दिनांक 24.03.1971 को 5 बीघा भूमि अपनी खातेदारी भूमि मे से व 5 बीघा भूमि आवंटन शुदा भूमि मे से कुल 10 बीघा भूमि निहालसिंह, मोहरसिंह पिसरान जयलाल को बैय कर दी जो खरीददरान के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। विवादित भूमि गंगाराम, सोहना, गिरधारी, सुरजाराम पिसरान हिरा को चक 11 एनटीआर बी की खातेदारी भूमि की ऐवज मे प्राप्त हुई है जिसमे सहवन से निहालसिंह, मोहरसिंह पिसरान जयलाल का नाम दर्ज है जबकि विवादितभूमि मे उनका कोई हक हिस्सा नही है ना ही कब्जा है। विभाजन प्रस्ताव जो प्राप्त हुआ है उसमे स्पष्ट लिखा है कि निहालसिंह,

मोहरसिंह पिसरान जयलाल का विवादित भूमि पर कब्जा नही है उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये विधि विरूद्ध तरीके से दावा डिक्री किया है जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांटस को कोई सूचना व नोटिस प्राप्त नही हुआ और ना ही निर्णय का ज्ञान था। सर्वप्रथम पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो विवादित भूमि निहालसिंह, मोहरसिंह पिसरान जयलाल के पक्ष मे निर्णय होना बताया तब विचारण न्यायालय मे आकर निर्णय बाबत जानकारी प्राप्त की एवं निर्णय की नकल बाबत दिनांक 01.05.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल प्राप्त होने के उपरांत बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की है। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः उपरोक्त दोनो अपीले स्वीकार की अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.07.2011 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.07.2013 को निरस्त किया जावें।

4. दोनो अपीलो के रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि चक 14 डीपीएन मे कुल 1.265 है0 नही कृषि भूमि स्थित है जिसमे वादी/रेस्पो0 व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9/अपीलांट व रेस्पो0 संयुक्त तौर से मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। उपरोक्ता वादग्रस्त भूमि मे ओमप्रकाश, बलराम महेन्द्र के 3/20 हिस्सा व सन्तो, मदन रोहिताश के 1/20 हिस्सा व सुरजा, सोहना, गिरधारी के 3/5 हिस्सा के रेस्पो0 सं. 1 व रेस्पो0 सं. 26 संयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि संयुक्त खाता मे है जबकि अपीलांट व रेस्पो0 ने संयुक्त तौर से अलग अलग काश्त कायम करके सींव व डोल कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संयुक्त खाता की भूमि के संबंध मे विभाजन का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री करते हुए रिकार्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया तथा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किया गया है जो सही है। अपीलांट का यह तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील विधिवत रूप से नही करवाई गई कतई आधार हीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील विधिवत रूप से करवाई गई है तथा बाद तामील उपस्थित न आने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अपीलांट का यह तर्क कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 निहालसिंह, मोहरसिंह पिसरान जयलाल के नाम सहवन से दर्ज हुई कतई मिथ्या कथन किये है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के नाम सहवन से दर्ज हुई होती तो अपीलांट या अन्य सहखातेदार द्वारा उक्त प्रविष्टि बाबत कोई कार्यवाही की जानी चाहिए थी जो अपीलांट या अन्य द्वारा नही की गई है। वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 की खरीदशुदा भूमि है तथा खरीद के पश्चात ही वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के उक्त अपीले प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः उक्त दोनो अपीले खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध दावा प्रस्तुत कर खाता विभाजन बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे दिनांक 26.07.2011 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध अपील सं. 77/2014 प्रस्तुत की गई और प्राथमिक डिक्री की पालना मे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दावा मे दिनांक 30.07.2013 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध अपील सं0 76/2014 प्रस्तुत की गई।

उक्त दोनो अपीले एक ही पक्षकार एवं एक ही भूमि से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर तामील चस्पा की गई, का अंकन है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस/सम्मन प्राप्त नही हुआ है, तामील चस्पादगी द्वारा की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपीलांट की तामील करवाई और ना ही खाता तकसीम करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। जिससे विभाजन के वाद मे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे समस्त पक्षकारान की उपस्थिति मे वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.07.2011 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.07.2013 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनो अपीले स्वीकार योग्य होने के कारण अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.07.2011 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.07.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा मे अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ